

उपभोक्ता शिकायत निवारण फोरम
इन्दौर एवं उज्जैन क्षेत्र
(जीपीएच परिसर), पोलोग्राउण्ड इन्दौर-452003

आदेश क्रमांक 259/विउशिनिफो/इंदौर/22

प्रकरण क्रमांक WO 520722

विषय :- अनावश्यक डिमांड निकालने विषयक।

श्री संजय रामचंद्र गोयल,
51/2, मंगल कॉलोनी,
खिलचीपुर, उज्जैन (म.प्र.)

-----परिवादी

विरुद्ध

कार्यपालन यंत्री (पश्चिम शहर) संभाग उज्जैन मप्रपक्षेविविकंलि. —उत्तरदाता
आदेश

(आज दिनांक 27.09.2022 को पारित किया गया)

परिवादी स्वयं उपस्थित।

विपक्ष मप्रपक्षेविविकंलिमि. की ओर से श्री संजय जाधव कनिष्ठ यंत्री
उपस्थित।

परिवादी का कथन :-

परिवादी द्वारा एक थ्री फेज 14920 वॉट क्षमता का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क. 61495503-55-92-1028250 लिया गया था, जिसे वर्ष 2008 में कटवा कर, मीटर जमा करवाकर, रु.10/— के सटाम्प पेपर पर लिखकर, निराकरण पूर्व में हो गया है एवं अब इस पर कोई राशि बकाया नहीं है।

बाद में उसी परिसर में नो ड्यूज लेकर, श्री रघुवीर गोयल के नाम से कनेक्शन दिया गया था। परंतु परिवादी के विरुद्ध कोई लेन देन बाकि नहीं है।

परिवादी को अधिकारी/पदेन तहसीलदार वसूली,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि. प.श.स.उज्जैन का परिवादी को प्रेषित अंतिम नोटिस क. पीडीसी /पीआरएम/1823 दि.26.02.2021 रु.95587/— 07 दिवस के भीतर जमा करने के संबंध में नोटिस जारी किया गया है। निवेदन है कि उक्त राशि अधिभार सहित समाप्त की जावे।

परिवादी ने परिवाद के साथ संबंधित विपक्ष अधिकारी/पदेन तहसीलदार वसूली,म.प्र.प.क्षे.वि.वि.क.लि.प.श.स.उज्जैन का परिवादी को

प्रेषित अंतिम नोटिस क. पीडीसी /पीआरएम/1823 दि.26.02.2021 रु. 95587/— 07 दिवस के भीतर जमा करने के संबंध में, मासिक विद्युत बिल माह फरवरी 2007 से माह मई 2007 तक तथा बिल माह जुलाई 2007 से माह नवंबर 2007 तक, बिल माह जनवरी 2017, जिस पर राशि रु. 25000/— जमा होना अंकित है, एवं माह फरवरी 2019 की छाया प्रतियां संलग्न की है।

विपक्ष का कथन :-

परिवादी द्वारा एक थ्री फेज 14920 वॉट क्षमता का गैर घरेलू विद्युत कनेक्शन क. 61495503-55-92-1028250 लिया गया था, जो कि कार्यालयीन रिकार्ड अनुसार माह सितम्बर 2011 में पीडीसी हो गया है, तथा इस दौरान विद्युत देयक राशि रु. 149037/— में से रु. 50000/— का भुगतान किया गया है एवं शेष राशि रु. 95587/— बकाया है।

परिवादी द्वारा यह उल्लेख किया गया है कि वर्ष 2008 में ही कनेक्शन कटवा कर, मीटर जमा करवा दिया था, जिसकी कॉपी संलग्न है।

किंतु संलग्न दस्तावेज का अवलोकन करने पर यह ज्ञात होता है कि सिर्फ वर्ष 2007 के विद्युत देयक की प्रतिलिपि संलग्न की गई है, परंतु ऐसा कोई दस्तावेज संलग्न नहीं किया गया जिससे यह साबित हो सके कि उक्त कनेक्शन वर्ष 2008 में पीडीसी करवा दिया गया था। परिवादी का बिलिंग डाटा संलग्न किया गया है।

2.विपक्ष ने परिवादी के अतिरिक्त लिखित तर्क पर दि. 20.09.2022 को इस प्रकार लिखित तर्क प्रस्तुत किया कि:-

परिवादी का कथन है कि उसी परिसर में नो ड्यूज लेकर, श्री रघुवीर गोयल के नाम से कनेक्शन दिया गया था। परंतु परिवादी के द्वारा नो ड्यूज, स्टाम्प पेपर की छाया प्रतियां अथवा उसी प्लॉट पर उक्त उपभोक्ता को कनेक्शन दिये जाने संबंधी सर्विस कनेक्शन क्रमांक संबंधी कोई भी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये हैं, जिससे यह प्रमाणित हो सके कि वर्ष 2008 में कनेक्शन पीडीसी करवा लिया गया था।

उक्त अतिरिक्त जवाबदावे की प्रति परिवादी को उपलब्ध करवाकर, निर्देशित किया गया कि वे अपना लिखित तर्क 3 दिवस के भीतर फोरम कार्यालय को प्रस्तुत करें, किंतु स्पष्टीकरण अप्राप्त है।

फोरम का अवलोकन एवं अभिमत :-

परिवादी ने वर्ष 2008 में मीटर जमा करवाकर, रु. 10/— के स्टाम्प पेपर पर लिख कर, कनेक्शन कटवा लिया था, अब बकाया राशि रु.

95587/— जमा करवाने हेतु नोटिस दिया गया है, के संबंध में परिवादी ने उक्त राशि अधिभार सहित समाप्त करने की मांग की है।

विपक्ष ने कथन किया है कि कार्यालयीन रिकार्ड के अनुसार माह सितम्बर 2011 में कनेक्शन पीडीसी. हो गया है। इस दौरान परिवादी द्वारा विद्युत देयक राशि रु. 149037/— में से राशि रु. 50000/— का भुगतान किया गया है एवं शेष बकाया राशि रु. 95587/— है।

उभय पक्षों के द्वारा प्रस्तुत कथन एवं दस्तावेजों के आधार पर फोरम का अभिमत है कि परिवादी के कनेक्शन के बिलिंग विवरण अनुसार, माह सितम्बर 2011 में कनेक्शन पीडीसी होना पाया गया है तथा शेष बकाया राशि रु. 95587/— पाई गई है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जाना चाहिये।

फोरम का निर्णय :-

फोरम को उभयपक्ष से प्राप्त जानकारीयों एवं दस्तावेजों के अवलोकन उपरान्त फोरम निम्नानुसार निर्णय पारित करता है :-

01/ परिवादी का परिवाद अस्वीकार किया जाता है।

02/ अभिमत में किये गये उल्लेखानुसार, परिवादी के कनेक्शन के बिलिंग विवरण अनुसार, माह सितम्बर 2011 में कनेक्शन पीडीसी होना पाया गया है तथा शेष बकाया राशि रु. 95587/— पाई गई है। जिसका भुगतान परिवादी द्वारा किया जावे।

उक्तानुसार परिवाद निराकृत किया जाकर, आदेश पारित है।

(श्रीमती कमल कट्ठर),
सदस्य

(एन.एस.मंडलोई),
सदस्य

(व्ही.के.गोयल)
अध्यक्ष